



THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीकृत कार्यालय : ओरिएण्टल हाऊस, पो.बॉ. नं 7037, ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110 002.

REGD. OFFICE : ORIENTAL HOUSE, P.B. NO. 7037, A-25/27 Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002.

Policy No. 124600/48/2019/6092
PERSONAL ACCIDENT INSURANCE POLICY (GROUP)

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी (सामूहिक)

जबकि इसकी अनुसूची में नामांकित बीमाकृत व्यक्ति (जिसे इसके पश्चात बीमाकृत व्यक्ति कहा जायेगा) दि. ओरिएण्टल इन्श्योरेंस कम्पनी (जिसे इसके पश्चात "कम्पनी" कहा जायेगा) को इसकी बीमामत व्यक्तियों की अनुसूची (जिसे इसके पश्चात "बीमामत व्यक्ति" कही जाएगी) में दिये गये व्यक्तियों के संबंध में बीमा के लिए प्रस्ताव किया है, तथा/अथवा इसकी अनुसूची में विनांकित को घोषणा किया है जो इसमें अंतर्निहित किसी विवरण तथा वारंटियों के साथ-साथ संविदा का आधार होगा तथा उसे इसमें शामिल कर लिया समझा जाएगा।

अब यह पॉलिसी इस बात की साक्षी है कि अनुसूची में कथित अवधि अथवा किसी बात की अवधि जिसके लिए कम्पनी पॉलिसी के स्वीकरण हेतु भुगतान स्वीकार करे के लिए भुगतान किया है अथवा कम्पनी को भुगतान करने के लिए सहमत हुआ है के प्रतिफलस्वरूप तथा अध्यक्षीन तथा इसमें अंतर्निहित अथवा अभियुक्त नियमों, उपबंधों, अपवादों तथा शर्तों अथवा इस पर पृष्ठांकित के अध्यक्षीन कम्पनी बीमाकृत व्यक्ति को इसके पश्चात बताये गये ढंग से तथा सीमा तक भुगतान करेगी बशर्ते कि यदि किसी बीमामत व्यक्ति को बाह्य, उग्र दृश्य कारणों के एकमात्र और प्रत्यक्ष परिमाणस्वरूप दुर्घटना से शारीरिक जखम पहुँचता है तो अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी बीमामत व्यक्तियों के संबंध में इसके पश्चात निर्दिष्ट राशि का भुगतान किया जायेगा।

- क) यदि जखम होने के 12 कलेंडर माह के अंदर ऐसा जखम बीमामत व्यक्ति की मृत्यु का एक मात्र और प्रत्यक्ष कारण हो तो अनुसूची निर्दिष्ट यही मूल बीमा राशि ऐसे बीमाकृत व्यक्तियों पर लागू होगी।
- ख) यदि ऐसे जखम होने के 12 कलेंडर माह के अंदर ऐसा जखम निम्नांकित पूर्व और अधिकतम हानि का एकमात्र और/या प्रत्यक्ष कारण हो
- दोनों आंखों की ज्योति खोना अथवा दो पूर्ण हाथ या दो पैरों अथवा एक पूर्ण हाथ और एक पूर्ण पैर या शरीर से आलम हो जाने से वास्तविक हानि अथवा एक आंख की ऐसी हानि और एक पूर्ण हाथ और एक पूर्ण पैर की ऐसी हानि हो तो अनुसूची में निर्दिष्ट यही मूल बीमा राशि ऐसे बीमाकृत व्यक्तियों पर लागू होगी।
 - दो हाथ या दो पैर अथवा एक हाथ और एक पैर के इस्तेमाल की पूर्ण और अधिकतम हानि अथवा एक आंख की हानि और एक हाथ या एक पैर के इस्तेमाल की ऐसी हानि हो तो वैसे बीमामत व्यक्ति को लागू होने वाले यह अनुसूची में निर्दिष्ट मूल बीमा राशि।
- ग) यदि ऐसे जखम होने के 12 कलेंडर माह के अंदर ऐसा जखम निम्नांकित पूर्व और अधिकतम हानि का एकमात्र और प्रत्यक्ष कारण हो
- एक आंख की ज्योति खोना अथवा एक पूर्ण हाथ या एक पूर्ण पैर के शरीर से अलग हो जाने से वास्तविक हानि हो तो वैसे बीमामत व्यक्ति को लागू होनेवाले अनुसूची में निर्दिष्ट मूल बीमा राशि का पचास प्रतिशत (50%)।
 - एक हाथ या एक पैर के शरीर से अलग न होने पर भी इस्तेमाल की पूर्ण और अधिकतम हानि हो तो वैसे बीमामत व्यक्ति को लागू होने वाले अनुसूची में निर्दिष्ट मूल बीमा राशि का पचास प्रतिशत (50%)।

नोट: उपर्युक्त इलाज (ख) और (ग) के प्रयोजन से हाथ या पैर के शरीर से अलग हो जाने का तात्पर्य है हाथ का कलाई पर से उसके ऊपर से कटकर अलग हो जाना अथवा/या पैर का नली पर से या उससे ऊपर से कटकर ऊपर से अलग हो जाना।

WHEREAS the insured named in the Schedule hereto (hereinafter called the 'Insured') has made and/or caused to be made to ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED (hereinafter called 'the Company') proposal and/or declaration dated as stated in the Schedule hereto which together with any statements and warranties contained therein shall be the basis of this contract and is/are deemed to be incorporated herein, for the insurance hereinafter set forth in respect of persons detailed in the Schedule of Insured Persons (hereinafter called the 'Insured Persons')

Now this policy witnesseth that subject to and in consideration of the payment made or agreed to pay the Company the premium for the period stated in the Schedule or for any further period for which the Company may accept payment for the renewal of this Policy and subject to the terms provisions exceptions and conditions therein expressed or contained or hereon endorsed the Company shall pay to the INSURED to the extent and in the manner hereinafter provided that if any of the insured Persons shall sustain any bodily injury resulting solely and directly from accident caused by external violent and visible means the sum hereinafter set forth in respect of any of the insured specified in the Schedule:

- If each injury shall within twelve (12) calendar months of its occurrence be the sole and direct cause of the death of the Insured Person the Capital Sum Insured stated in the Schedule here to applicable to applicable to such Insured Person.
- If the injury within twelve (12) Calendar months of its occurrence be the sole and direct cause of the total and irrecoverable loss of
 - sight of both eyes or of the actual loss by physical separation of the two entire hands or two entire feet or of one entire hand and one entire foot or of such loss of sight of one eye and such loss of one entire hand and one entire foot, the Capital Sum Insured stated in the Schedule hereto applicable to such Insured Person.
 - use of two hands or two feet or of one hand and one foot or of such loss of sight of one eye and such loss of use of one foot, the Capital Sum Insured stated in the Schedule hereto applicable to such Insured Person.
- If such injury shall within twelve calendar months of its occurrence be the sole and direct cause of the total and irrecoverable loss of
 - the sight of one eye or of the actual loss by physical separation of one entire hand or one entire foot, fifty percent (50%) of the Capital Sum Insured stated in the Schedule hereto applicable to such Insured Person.
 - total and irrecoverable loss of use of a hand or a foot without physical separation, fifty percent (50%) of the Capital Sum Insured stated in the Schedule hereto applicable to such Insured Person.

Note : For the purpose of Clause (b) and (c) above physical separation of a hand or foot means separation of hand at or above the wrist and/or of the foot at or above the ankle.



(घ) यदि ऐसे जखम के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप बीमित व्यक्ति स्थायी रूपसे सम्पूर्ण और पूर्णरूपेण अशक्त हो जाता है जिससे वह किसी नियोजन में लगने में किसी भी प्रकार के नियोजन या व्यवसाय में लगे रहने में असमर्थ रहता है तो अनुसूची में निर्दिष्ट मूल बीमा राशी की 100% एक मुश्त राशि।

(च) यदि ऐसे जखम के एकमात्र और प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप 12 कलेंडर माह के अंदर निम्नांकित के वास्तविक रूप से अलग कटजाने से उनके इस्तेमाल की पूर्ण और/या आंशिक अचिकित्स्य हानि होती है, तो जैसे बीमित व्यक्ति को लागू होने वाले मूल बीमा राशि पर निम्नांकित प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा।

मूल बीमा राशि का प्रतिशत

1)	अंगुलिया की हानि समस्त	20
	दोनों बड़ी अंगुलि अस्थि	5
	एक बड़ी अंगुलि अस्थि	
	बड़ी को छोड़कर एक से अधिक अंगुलियों की क्षति प्रत्येक के लिए	2
2)	दोनों कानों की श्रवण शक्ति खोना	50
3)	एक कान की श्रवण शक्ति खोना	15
4)	एक हाथ की चार अंगुलियों की हानि	40
5)	चार अंगुलियों की हानि	35
6)	अंगूठे की हानि - दोनों अंगुली अस्थि	25
	एक अंगुली अस्थि	10
7)	तर्जनी की हानि - तीन अंगुली अस्थि	10
	दो अंगुली अस्थि	8
	एक अंगुली अस्थि	4
8)	मध्यमा की हानि - तीन अंगुली अस्थि	6
	दो अंगुली अस्थि	4
	एक अंगुली अस्थि	2
9)	अनामिका की हानि - तीन अंगुली अस्थि	5
	दो अंगुली अस्थि	4
	एक अंगुली अस्थि	2
10)	कनिष्ठिका की हानि - तीन अंगुली अस्थि	4
	दो अंगुली अस्थि	3
	एक अंगुली अस्थि	2

11) करभास्थि (मेटाकारपला) की हानि प्रथम या द्वितीय (अतिरिक्त) 3

12) कोई अन्य स्थायी चिकित्सक द्वारा अनुमानित प्रतिशत

(च) यदि ऐसा जखम अस्थायी पूर्ण अशक्तता का एकमात्र और प्रत्यक्ष कारण हो तो जब तक बीमित व्यक्ति किसी भी नियोजन या व्यवसाय में लगने के लिए पूर्णता अशक्त हो, तो मूल बीमा राशि का 1% तक प्रतिशत प्रति सप्ताह किन्तु किसी भी प्रकरण में सभी पॉलिसियों के अन्तर्गत कुल मिलाकर अधिकतम 3,000/- रुपये प्रति सप्ताह।

यह उपबंध है कि सब क्लाज (छ) के अन्तर्गत वेय क्षतिपूर्ति

किसी एक जखम के लिए अशक्तता आरंभ की तिथि से परिकल्पित किये जाने पर 104 सप्ताह से अधिक अवधि तक नहीं दी जाएगी और किसी भी प्रकरण में यह जैसे बीमाकृत व्यक्ति को लागू होनेवाले मूल बीमा राशि से अधिक नहीं होगी।

शव को आवास तक पहुँचाने, खर्च और/या संस्कार का खर्च पॉलिसी में परिभाषित दुर्घटना के कारण बीमाकृत व्यक्ति की उसके निवास स्थान के बाहर मृत्यु होने की दशा में कंपनी उपक्लाज (क) से (च) अंतर्गत देय राशि के साथ साथ बीमाकृत व्यक्ति की मृत देह को उसके निवास स्थान पर ले जाने में हुए खर्च की और/या अंतिम संस्कार के खर्च की भी प्रतिपूर्ति करेगी जो मूल बीमा राशि का 2% या रु. 2,500/- जो भी कम हो के अध्वधीन होगा।

रोजगार के नुकसान के लिए मुआबजा

पूर्ण अशक्तता के कारण रोजगार की हानि की स्थिति में बीमतीत राशि कां 1% या रु. 15,000/- जो भी कम हो, मुआबजा दिया जाएगा।

चिकित्सा खर्च (जब इसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम दिया हो)

दुर्घटना बीमा आवरण के लिए मूल प्रीमियम पर 10% की दर से अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के अधीन स्वीकार्य वैध दावा राशि के 25% तक या 25% की दर से अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के अधीन स्वीकार्य वैध दावा राशि के 50% तक चिकित्सा खर्च को सम्मिलित करने के लिए दुर्घटना बीमा अंश विस्तारित किया जा सकता है।

d) If such injury shall as a direct consequence thereof immediately permanently totally and absolutely disable the Insured Person from engaging in being occupied with or giving attention to any employment or occupation of any description whatsoever then a lump sum equal to hundred percent (100%) of the Capital sum insured stated in the Schedule hereto applicable to such Insured Persons.

e) If such injury shall within twelve (12) calendar months of its occurrence be the sole and direct cause of the total and or partial Irrecoverable loss of use or of the actual loss by physical separation of the following then the percentage of the Capital Sum insured applicable to such Insured Persons in the manner indicated below shall be payable.

	Percentage of the Capital Sum insured
i) Loss of toes - all	20
Great - both phalanges	5
Great - one phalanx	2
Other than great	
If more than one toe lost each	1
ii) Loss of hearing - both ears	50
iii) Loss of hearing - one ear	15
iv) Loss of four fingers & thumb of one hand	40
Loss of four fingers	35
vi) Loss of thumb - both phalanges	25
one phalanx	10
vii) Loss of index finger - three phalanges	10
- two phalanges	8
- one phalanx	4
viii) Loss of middle finger - three phalanges	6
- two phalanges	4
- one phalanx	2
ix) Loss of ring finger - three phalanges	5
- two phalanges	4
- one phalanx	2
x) Loss of little finger - three phalanges	4
- two phalanges	3
- one phalanx	2
xi) Loss of metacarples - first or second (additional)	3
-third fourth or fifth (additional)	2

xii) Any other permanent partial disablement Percentage as assessed by the Doctor

f) If such injury shall be sole and direct cause of temporary for disablement then so then so long as the insured Person shall be totally disable from engaging in any employment or occupation of any description whatsoever, a sum, at the rate of one percent (1%) of the Capital Sum Insured stated in the Schedule hereto per week but in any case not exceeding Rs. 3,000/- per week in all under all Personal Accident Policies covering such Insured Person. Provided that the compensation payable under the foregoing sub-Clause (f) shall not be payable for more than 104 weeks in respect of any one injury calculated from the date of commencement of disablement and in no case shall exceed this Capital Sum insured applicable to such insured Person.

Expenses for Carriage of Dead Body and/or Funeral Expenses: In the event of death of insured person due to accident, as defined in the policy, outside his/her residence, the Company shall reimburse expenses incurred for transportation of insured's dead body to the place of residence and/or funeral expenses subject to a maximum of 2% of Capital Sum Insured or Rs. 2,500/- whichever is less.

Compensation for Loss of Employment :

The Compensation payable, in the event of loss of employment due to total disablement, will be at 1% of the insured or Rs. 15,000/- whichever is less.

Medical Expenses (when opted for an Additional Premium): The Accident portion can be extended to include Medical Expenses to the extent of 25% of valid admissible claim amount subject to payment of additional premium at the rate of 10% or to the extent of 50 % of valid admissible claim amount subject to payment of additional premium at the rate of 25% on basic premium for accident cover.

अपघर्जन

सदैव के लिए उपबंध है कि कम्पनी इस पॉलिसी के अधीन निम्नांकित के प्रति बायीं नहीं होगी :

- 1) एक ही अघाती की अशक्तता के प्रति उपर्युक्त सब क्लॉजों से एक से अधिक के अंतर्गत क्षतिपूर्ति क्लॉज (छ) को छोड़कर ।
- 2) क्लॉज (क), (ख), (ग), (घ) में किसी के अंतर्गत दावा स्वीकार किए उसी व्यक्ति और देय हो जाने की स्थिति में कोई दूसरा भुगतान ।
- 3) व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के अन्तर्गत किसी बीमा अवधि के दौरान एक से एक अधिक दावे होने पर भुगतान, जिस भुगतान से इस पॉलिसीकी सब क्लॉज(क)में विहित कम्पनी के अधिकतम दायित्व में वृद्धि होती है ।
- 4) साप्ताहिक क्षतिपूर्ति का भुगतान जब तक कि कुल देय राशि का निर्धारण न किया गया हो और उसे स्वीकार न कर लिया गया हो ।
- 5) आगे दिए गए कारणों से बीमित व्यक्ति की मृत्यु, जख्म या अशक्तता के प्रति क्षतिपूर्ति का भुगतान (अ) जानबूझकर स्वयं क्षति, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास । (आ) नशीली शराब या ड्रग के अधीन रहते हुए (इ) उड्डयन या बलून में रहते हुए या किसी वायुयान या बलून में चढ़ते या उससे उतरते या उसमें सवारी करते हुए-विधिवत् लाईसेंस शुद्ध मानक प्रकार के विमान को छोड़कर जिसमें बतौर यात्री (भाड़ा देकर या अन्यथा) दुनिया में कहीं भी यात्रा की जा रही हो, (ई) रतिज रोग या निक्षिप्तता के प्रत्यक्ष या परोक्ष कारणों से (उ) बीमाकृत व्यक्ति द्वारा अपराधिक प्रयोजनों से कानून भंग किए जाने पर उत्पन्न या परिणामी ।
- 6) बीमित व्यक्ति की मृत्यु, जख्म या अशक्तता के प्रति क्षतिपूर्ति का भुगतान जो युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रु के कार्यकलाप, युद्ध सदृश्य गतिविधियाँ । (चाहे युद्ध की घोषणा हुई हो अथवा नहीं) गृह युद्ध बगावत, क्रांति, विद्रोह, गबर सेना द्वारा या अन्य द्वारा शासन हथियाने, किसी भी राष्ट्र स्थिति और प्रकार के राजाओं राजकुमारों और लोगों का अधिग्रहण, बंदीकरण गिरफ्तार और नजरबंदी के कारण उद्भूत या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होने वाली या परलक्षित कारणों से हो ।
- 7) बीमित व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक जख्म के प्रति क्षतिपूर्ति का भुगतान जो.
(क) किसी न्युकलीय ईंधन या न्युकलीन ईंधन के न्युकलीय अवशेष के विस्फोट से रेडियो धर्म प्रत्यक्ष या परोक्ष कारणों से या उनसे उपगत या पैदा होने वाले आयनोत्कृत विकिरण या संसृष्टण से पैदा हो । इस अपघर्जन के प्रयोजन से "विस्फोट" में न्युकलीय "फिरान" की श्यपोपित प्रक्रिया शामिल है ।
(ख) न्युकलीय शक्ति सामग्री से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पन्न या उपगत । यह भी उपबंध है कि इस पॉलिसी की शर्तों और प्रतिबंधों (जो प्रतिबंध और पॉलिसी पर लगे सभी पृष्ठांकन पॉलिसी के हिस्से के रूप में पढ़े जाने हैं) का, जहाँ तक वे यहाँ अनुसूची में विहित बीमाकृत व्यक्ति बीमित व्यक्ति द्वारा किसी काम के किये जाने से सम्बद्ध हो, उचित अनुपालन और पूरा किया जान इस पॉलिसी के अन्तर्गत कम्पनी के दायित्व की पूर्वगामी शर्त होगी ।
- 8) गर्भकाल अपघर्जन क्लॉज - इस पॉलिसी के अन्तर्गत बीमा शिशु-जन्म या गर्भावस्था के प्रत्यक्ष या परोक्ष कारणों से सहयोगित उपगत मृत्यु या अशक्तता या इनके कारण अशक्तता की अस्था में अथवा अवधि में हुई गंभीरता या वृद्धि के लिए विस्तारित नहीं किया जायेगा ।

शर्तें

- 1) किसी घटना के होने पर जिसके कारण इस पॉलिसी के अन्तर्गत दावा हो सकता है, कम्पनी को पूर्ण विवरण सहित तुरन्त लिखित नोटिस दिया जाना चाहिए। या दाह संस्कार से पूर्व मृत्यु के बाद एक कलेंडर माह के अन्दर दिया जाना चाहिए और आँखों की ज्योति चले जाने पर या अवयव कट जाने के एक कलेंडर माह के अन्दर इसका लिखित नोटिस दिया जाना चाहिए।
- 2) उन सभी मामलों के विषय में जिन पर दावा आधारित हो, कम्पनी को प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा । बीमित व्यक्ति को पहुंचे कथित जख्म या अशक्तता पर जब कभी और जितनी बार कम्पनी की ओर से युक्तियुक्त समझा जाए, कम्पनी के चिकित्सक या अन्य एजेंट को बीमित व्यक्ति के परीक्षण किये जाने और मृत्यु होने पर बीमित व्यक्ति के शरीर की शव परीक्षा करने की अनुमति दी जाएगी । कम्पनी द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले ऐसे प्रमाण और शवपरीक्षा रिपोर्ट यदि आवश्यक हो, कम्पनी द्वारा लिखित रूप में मांग किए जाने के 14 दिन के अंदर कम्पनी को प्रस्तुत किए जाएंगे और आँखों की ज्योति चले जाने के दावे के संबंध में बीमाकृत व्यक्ति द्वारा स्वयं के खर्च पर ऐसा आपरेशन या इलाज करवाया जायेगा जिसे कम्पनी युक्तियुक्त अपेक्षित समझे। परंतु नीचे दी हुई सभी देय राशि भुगतान योग्य होगी :

(i) मृत्यु या स्थायी पूर्ण अशक्तता के मामले में केवल संबंधित बीमित व्यक्ति, जिसे कोई प्रीमियम वापस किये बिना ऐसी राशि देय होगी, का नाम पृष्ठांकन द्वारा काटने के पश्चात

EXCEPTIONS

Provided always that the Company shall not be liable under this Policy for :-

1. Compensation under more than one of the foregoing sub-Clause in respect of the same period of disablement of the Insured Person.
2. Any other payment of the same person after a claim under one of the Sub-Clause (a), (b), (c) or (d) has been admitted and become payable.
3. Any payment in case of more than one claim in respect of such insured Person under the Policy, during any one period of Insurance by which the maximum liability of the Company specified in the Schedule applicable to such insured Person exceed the sum payable under Sub-Clause (a) of this Policy to such Insured Person.
4. Payment of weekly compensation until the total amount shall have been ascertained and agreed.
5. Payment of compensation in respect of Death, injury or Disablement of the Insured Person.
(a) from intentional self-injury, suicide or attempted suicide.
(b) whilst under the Influence of intoxicating liquor or drugs.
(c) whilst engaging in aviation or ballooning, or whilst mounting into, dismounting from or travelling in any balloon or aircraft other than as a passenger (fare paying or otherwise) in any duly licensed standard type of aircraft anywhere in the world.
(d) directly or indirectly caused by venereal disease or insanity
(e) arising or resulting from the insured Person committing any breach of law with criminal intent.
6. Payment of compensation in respect of death injury or Disablement of the insured Person due to or arising out of or directly or indirectly connected with or traceable to War Invasion Act of foreign enemy Hostilities (whether war be declared or not) Civil War Rebellion, Revolution, Insurrection, Mutiny Military or Usurped Power, Seizure, Capture Arrests, restraint and Detainments of all kings, Princes and People of whatsoever nation condition or quality.
7. Payment of compensation in respect of death of or bodily injury to the insured Person.
a) directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from Ionising, radiations or contamination by radio activity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. For the purpose of this exception, combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission.
b) directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from nuclear weapons materials. Provided also that the due observance and fulfillment of the terms and conditions of this policy (Which conditions and all endorsed hereon are to be read as part of this Policy) shall so far as they relate to anything to be done by the insured and/or insured Person be a condition precedent to any liability of the Company under this Policy.

8. Pregnancy Exclusion Clause :

The insurance under Policy shall not extend to cover death or disablement resulting directly or indirectly caused by, contributed to or aggravated or prolonged by childbirth or pregnancy or in consequence thereof.

CONDITIONS

1) Upon the happening of any event which may give rise to a claim under this Policy written notice with all particulars must be given to the Company immediately. In case of death written notice also for the death must, unless reasonable cause is shown be given before interment cremation and in any case within one calendar month after the death and in the event of loss of sight or amputation of limbs, written notice hereof must also be given within one calendar month after such loss of sight or amputation.

2) Proof satisfactory to the Company shall be furnished of all matters upon which a claim is based. Any Medical or other agent of the Company shall be allowed to examine the insured Person(s) on occasion of any alleged injury or disablement when and so often as the same may reasonably be required on behalf of the Company and in the event of death, to make a post mortem examination of the body of the insured person(s) Such evidence as the Company may from time to time require shall be furnished and a post mortem examination report, if necessary, be furnished within the space of fourteen days after in demand writing and in the event of a claim in respect of loss of sight, the insured Person(s) shall undergo at the Insured's expenses, such operation or treatment as the Company may reasonably deem desirable.

PROVISION

Provided the all sums payable hereunder shall be payable :

- i) in case of death or permanent total disablement only after deleting by an endorsement the name of the insured person in respect of whom such sum shall become payable without any refund of premium.

- (ii) स्थायी अशक्तता के मामले में : केवल बीमित व्यक्ति जिसे ऐसी राशि देय होगी उसके संबंध में दावा के अन्तर्गत स्वीकृत राशि को बीमित पूंजीगत राशि से एक पृष्ठांकन द्वारा घटाने के पश्चात्
- (iii) अस्थायी पूर्ण अशक्तता के मामले में : ऐसी अशक्तता की समाप्ति पर
- 3) इस पॉलिसी के अंतर्गत कम्पनी किसी भी ऐसे दावे के भुगतान के लिए बाध्य नहीं होगी यदि ऐसा दावा किसी भी रूप में घोखाघड़ी से किया गया हो अथवा जिसके समर्थन में घोखाघड़ी से कोई ज्ञापन किया गया हो या ऐसी पद्धति अपनायी गयी हो, चाहे यह बीमाकृत व्यक्ति द्वारा किया गया हो या बीमाकृत व्यक्ति के एजेंट में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ।
- 4) (क) बीमित व्यक्ति के कारोबार या पेशे में कोई परिवर्तन होने पर बीमाकृत व्यक्ति द्वारा तुरंत कम्पनी को सूचित किया जायेगा ।
(ख) इस पॉलिसी के नवीकरण के लिए प्रीमियम भुगतान किए जाने पर बीमाकृत व्यक्ति द्वारा कम्पनी को लिखित सूचना दी जायेगी जिसमें बीमित व्यक्ति को उन बीमारियों शारीरिक दोषों या अशक्तता का विवरण होगा जो उसे विगत प्रीमियम भुगतान के बाद हुई हैं ।
- 5) आपसी सहमती से पॉलिसी का प्रतिवर्ष नवीकरण किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में पॉलिसी समाप्ति से पूर्व या पॉलिसी समाप्ति तिथि पर पश्चात्वर्ती नवीकरण प्रीमियम का भुगतान कम्पनी को किया जायेगा तथापि नवीकरण प्रीमियम के भुगतान किए जाने की सूचना देने के लिए कम्पनी बाध्य नहीं होगी ।
- 6) कम्पनी द्वारा लिखित रूप में नोटिस दिये जाने पर इस पॉलिसी को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है बशर्ते ऐसे प्रकरण में कम्पनी द्वारा बीमाकृत व्यक्ति को अंतिम भुगतान किए गए प्रीमियम को लौटा दिया जाएगा, जिस राशि से उस समाप्त बीमा अवधि के लिए यथानुगत प्रीमियम काट दिया जाएगा । इस नोटिस को यथेष्ट रूप से जारी किया गया माना जाएगा । यदि इसे कम्पनी के रिकार्ड में बीमाकृत व्यक्ति के पंजीकृत अंतिम पते पर डाक द्वारा भेजा गया हो और इसे बीमाकृत व्यक्ति द्वारा उस समय प्राप्त किया गया समझा जाएगा जिस अवधि में यह सामान्य डाक द्वारा भेजे जाने पर प्राप्त हो जाता अथवा उस पॉलिसी को बीमाकृत व्यक्ति द्वारा डाक प्रामाणित या पंजीकृत रसीदी डाक (ए/डी) से भेजे गए लिखित नोटिस द्वारा किसी समय रद्द किया जा सकता है । बीमाकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे नोटिस के भेजे जाने की तिथि बशर्ते बीमाकृत व्यक्ति द्वारा कम्पनी को लिखित नोटिस भेजे जाने से पूर्व चहा हस्तलिखित पॉलिसी के अंतर्गत कोई दावा उपगत न हुआ हो, बीमाकृत व्यक्ति पॉलिसी जारी रहने की अवधि के लिए कम्पनी की अल्प अवधि पर कटौती के पश्चात् शेष प्रीमियम की वापसी का हकदार होगा ।
- 7) इस पॉलिसी के संबंध में किसी न्याय, प्रभार लियन, समनुदेशन या अन्य विचार (डिलिंग) को कम्पनी मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं होगी और न ही यह उससे प्रभावित है; लेकिन सभी प्रकरणों में बीमाकृत व्यक्ति की रसीद कम्पनी के प्रति प्रभावी उन्मोचन मानी जाएगी ।
- 8) यदि इस बीमा पॉलिसी के अधीन चुकाई जानेवाली राशि की मात्रा के संबंध में कोई मतभेद उत्पन्न होगा, दायित्व के अन्यथा स्वीकृत हो जाने पर उस मतभेद को अन्य सभी प्रश्नों से स्वतन्त्र रखते हुए मतभेद में सम्मिलित पक्षकारों द्वारा लिखित रूप से नियुक्त किए जाने वाले एक मध्यस्थ (आर्बिटर) के पास निर्णय के लिए या यदि वे एक अकेले मध्यस्थ पर सहमत नहीं होते हैं तो मध्यस्थों के रूप में दो ऐसे निष्पक्ष व्यक्तियों के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा जिसमें से एक समय-समय पर यथा संशोधित और वर्तमान प्रवृत्त आर्बिटरन अधिनियम 1940 के उपबंधों के अनुसार अन्य पक्षकार द्वारा लिखित रूप से ऐसा करने के लिए कहे जाने के बाद दो कलेण्डर माह के भीतर प्रत्येक पक्षकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा यदि किसी नियुक्ति की अपेक्षा करने वाली लिखित सूचना की प्राप्ति के बाद दो कलेण्डर माह के भीतर कोई पक्षकार मध्यस्थ की नियुक्ति करने से इन्कार करेगा या नियुक्ति नहीं करेगा, तो अन्य पक्षकार एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति करने के लिए स्वतन्त्र होगा और मध्यस्थों के बीच असहमति होने की स्थिति में, वह मतभेद अधिनिर्णायक के निर्णय के लिए भेजा जाएगा, जो इनके द्वारा संदर्भ के बारे में बातचीत करने से पहले लिखित रूप से नियुक्त कर दिया गया होगा और जो मध्यस्थों के साथ बैठकों की अध्यक्षता करेगा, स्पष्ट स्वीकार कर लिया जाता है और समझ लिया जाता है कि यदि कम्पनी ने इस बीमा पॉलिसी के अधीन या उसके बारे में विवाद किया है या दायित्व को स्वीकार नहीं किया है तो कोई मतभेद या विवाद इसमें पहले उपबंधित मध्यस्थता के लिए प्रेरणीय नहीं होगा। एतद्द्वारा आगे अभिव्यक्त रूप से यह भी स्वीकार और घोषित किया जाता है कि यदि कम्पनी इसके अधीन किसी दावे के लिए बीमाकृत व्यक्ति के प्रति दायित्व को स्वीकार नहीं करेगी और ऐसे अस्वीकार करने की तारीख से 12 कलेण्डर माह के भीतर ऐसा दावा किसी न्यायालय के विवाद की विषयवस्तु नहीं बनेगा, तो वह दावा सभी प्रयोजनों के लिए परित्यक्त कर दिया गया समझा जाएगा और उसके बाद उसके अधीन वसूली योग्य नहीं होगा।
- नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी पाठ विधिमान्य होगा ।

ii) in case of permanent partial disablement - only after reduction by an endorsement of the capital Sum Insured by the amount admissible under the claim in respect of the insured person to whom such shall become payable, and

iii) in case of temporary total disablement upon termination of such disablement.

3) The Company shall not be liable to make any payment be in any manner fraudulent or supported by any fraudulent statement or device whether by the insured or by any person on behalf of the insured Person(s)

4) a) the insured shall give immediate notice to the Company of any change in any of the insured Person's business or occupation.

b) The insured shall on tendering any premium for the renewal of his Policy give notice in writing to the Company of any disease physical defect or infirmity with which any of the insured Person(s) have become affected since the payment of last preceding premium.

5) The Policy may be renewed by mutual consent every year and in such event the renewal premium shall be paid to the Company on or before the date of expiry of the Policy or of the subsequent renewal thereof. The Company shall not however be bound to give notice that such Renewal Premium is due.

6) The company may at any time by notice in writing terminate this policy provided that the Company shall in that case return to the insured the then last paid premium in respect of such persons in respect of whom no claim has arisen less a prorata part thereof for the portion of the current insurance period which shall have expired. Such notice shall be deemed sufficiently given if posted and addressed to the insured at the address last registered in the Company's books and shall be deemed to have been received by the insured at the time when the same would be delivered in the ordinary course of post.

OR

The Policy may be cancelled at any time by the insured by a notice in writing under a certificate of Posting or a Regd. A. D. Such notice shall be deemed to be effective from the date of despatch of the same by the insured. Provided no claim has arisen under the within mentioned Policy prior to the despatch of such notice by the insured to the Company the insured to the Company the insured would be entitled to the return of premium less premium at Company's short period rates for the period the policy has been in force.

7) The Company shall not be bound to take notice or be affected by any notice of any trust charge lien assignment or other dealing with or relating to this Policy. The receipt of the Insured shall in all cases be an effective discharge to the Company.

8) If any difference shall arise as to the quantum to be paid under this policy (liability being otherwise admitted) such difference shall independently of all other questions be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference, or if they cannot agree upon a single arbitrator of the decision of two disinterested persons as arbitrators of whom one shall be appointed in writing by each of the parties within two calendar months after having been required so to do in writing by the other party in accordance with the provisions of the Arbitration Act, 1940, as amended from time to time and for the time being in force, in Case either party shall refuse or fail to appointed arbitrator within two calendar months after receipt of notice in writing enquiring an appointment the other party shall be at liberty to appoint sole arbitrator and in case of disagreement between the arbitrators the difference shall be referred to the decision of an umpire who shall have been appointed by them in writing before the arbitration proceedings on the reference and who shall sit with the arbitrators and preside at their meetings.

It is clearly agreed and understood that no difference or dispute shall be referable to arbitration as hereinbefore provided if the Company has disputed or not accepted liability under or in respect of this Policy.

It is also hereby further expressly agreed and declared that if the Company shall disclaim liability to the insured for any claim hereunder and such claim shall not within 12 calendar months from the date of such disclaimer have been made the subject matter of a suit in a court of law then the claim shall for all purpose be deemed to have been abandoned and shall not thereafter be recoverable hereunder.

Note : For legal interpretation English version will hold good.

1. 1800118485 - Toll Free Number

2. 011-33208485 - Non Toll Free Number